<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर</u>

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2006 (निजी सम्पत्ति घोषित करने)

RCMS NO- 2006/00003

<u>अनवान</u>

1. श्री नारायणलाल पिता वेणीराम मेनारिया (ब्राह्मण) मृतक के बजायः–

   1/1 श्री देवीलाल पिता नारायणलाल मेनारिया (ब्राह्मण), निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

   1/2 श्री अम्बालाल पिता नारायणलाल मेनारिया (ब्राह्मण), निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

2. श्री जीवनलाल पिता कालूलाल मेनारिया (ब्राह्मण), निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. श्री देवकिशन पिता कालूलाल मेनारिया (ब्राह्मण), निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
4. श्री भेरूलाल पिता धनलाल मेनारिया (ब्राह्मण), निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
5. श्री तुलसीराम पिता कालूलाल मेनारिया (ब्राह्मण), निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
6. श्री रमेशचंद्र पिता कालूलाल मेनारिया (ब्राह्मण), निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
7. श्री सोहनलाल पिता कालूलाल मेनारिया (ब्राह्मण), निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
8. श्री चुन्नीलाल पिता कमललाल मेनारिया (ब्राह्मण), निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
9. श्री डुंगरलाल पिता हेमराज मेनारिया (ब्राह्मण), निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
10. श्री परसराम पिता शंकरलाल मेनारिया (ब्राह्मण), निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
11. श्री किशनलाल पिता हेमराज मेनारिया (ब्राह्मण), निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
12. श्री ललित कुमार पिता शान्तिलाल मेनारिया (ब्राह्मण), निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
13. श्री मुकेश पिता शान्तिलाल मेनारिया (ब्राह्मण), निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

14. श्री भंवरलाल पिता सोहनलाल मेनारिया (ब्राह्मण), निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
15. श्री ख्यालीलाल पिता पृथ्वीराज मेनारिया (ब्राह्मण), निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
16. श्री अम्बालाल पिता नारायणलाल मेनारिया (ब्राह्मण), निवासी पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. नगर विकास प्रन्याय, उदयपुर

— अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. श्री संजय बोहरा, प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23(1) राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 बाबत् निजी सम्पत्ति घोषित करने।

* निर्णय *

दिनांक 05-03-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 23(1) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पानेरियो की मादडी, तहसील गिर्वा में साबिक आराजी संख्या 311 रकबा 14 बीघा, आराजी संख्या 867 मी. रकबा सवा 26 बीघा एवं आराजी संख्या 152 रकबा पोने 3 बीघा भूमि स्थित है, जिसके आराजी संख्या 405 रकबा 1.2200 हेक्टेयर, 409 रकबा 1.8700 हेक्टेयर, 410 रकबा 1.8000 हेक्टेयर, 413 रकबा 4.2600 हेक्टेयर, 175 रकबा 0.1450 हेक्टेयर व 1102 रकबा 0.2750 हेक्टेयर भूमि स्थित है। इसी प्रकार साबिक आराजी संख्या 325 व 326 के हाल आराजी संख्या 427 रकबा 0.0500 हेक्टेयर व साबिक आराजी संख्या 1311 के हाल आराजी संख्या 407 रकबा 0.1150 हेक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण पानेरियों की मादडी के लघु माफीदार काश्तकार थे। यह समस्त गांव एक माफीदार का न होकर 7 हांस सखावत, मानावत, कचरावत, नेतावत, नन्दावत, केदावत व कोलावत है। यह माफी महाराणा साहाब श्री उदयसिंह जी के वक्त में नाया जी को मिली थी व प्रार्थीगण उनके वंशज है। प्रार्थीगण की जागीर (माफी) ग्राम पानेरियों की मादडी की माली आय 200 रूपये से कम होने से कानून के अनुसार 1958 मे रिज्युम हुई थी। प्रार्थीगण पानेरियों की मादडी के छोटे माफीदार होने से उन्हे यह पता नही था कि माफी रिजम्शन के समय निजी सम्पत्ति की सूची देना एवं उस सूची को घोषित किया जाना था और प्रार्थीगण के आधिपत्य की भूमि रिज्युमशन के पूर्व से उनके आधिपत्य में चली आ रही है। पानेरियों की मादडी माफी का गांव था तथा वहां की माफी दिनांक 31.12.1958 को रिज्युम

हो गयी। प्रार्थीगण ने अपनी निजी सम्पत्ति के रूप में निम्न जायदाद आपने स्वयं के रखी है, जो आबादी के रूप में होकर प्रार्थीगण के मकान बने हुये है। माफीदार की हैसियत से प्रार्थीगण का कब्जा आज भी उक्त वर्णित आराजीयात की भूमि पर चला आ रहा है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में समय समय पर कार्यवाही की है, परन्तु वास्तविक रूप से विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे को कभी भी नही हटाया गया। निजी सम्पत्ति की सूची घोषित न करने के कारण जागीर पुनर्ग्रहण के समय कथित भूमि बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई थी। उक्त कथित सम्पत्ति प्रार्थीगण की व्यक्तिगत सम्पत्ति हो धारा 23 (1), राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अनुसार प्रार्थीगण की ही है, परन्तु इसे सूची में न दर्शाया जाने से प्रार्थीगण की जायदाद घोषित नही की गयी। इसकी घोषणा की कोई मयाद न होने से प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात की भूमि प्रार्थीगण की निजी सम्पत्ति घोषित कराई जावे एवं प्रार्थीगण को उसका खातेदार काश्तकार घोषित कराया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मिथ्या एवं निराधार है। प्रार्थीगण न तो जागीरदार थे, न ही विवादग्रस्त भूमि जागीर पुनर्ग्रहण के पूर्व से उनके आधिपत्य में है। विवादग्रस्त सम्पत्ति न तो प्रार्थीगण की निजी सम्पत्ति है एवं न ही वैध पट्टा प्रार्थीगण को प्राप्त हुआ है। कथित पट्टा कूट रचित, अवैध एवं अनाधिकृत है। प्रार्थीगण ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर उसे नियमन कराने के प्रयोजन से यह मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विवादग्रस्त भूमि बिलानाम सरकारी भूमि है जो कि जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश क्रमांक प/12/3/89/राजस्व/86/7178–89 दिनांक 31.12.1986 तथा संशोधित आदेश क्रमांक एफ/12.3.89/राजस्व/86/855–61 दिनांक 15.04.1989 को उक्त भूमि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को हस्तान्तरित हो चुकी है एवं अब यह भूमि न्यास में निहित होकर इस पर मास्टर प्लान के अनुरूप जनोपयोगी योजनाओं का क्रियान्वयन विचाराधीन है। प्रार्थीगण मात्र अतिक्रमी है एवं प्रार्थीगण को कई बार धारा 91, भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बेदखल किया जा चुका है। जागीर पुनर्ग्रहण के समय प्रार्थीगण ने सक्षम अधिकारी के समक्ष कभी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया। प्रार्थीगण ने भू–सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रवर्तनशील होने के पश्चात् कभी निजी सम्पत्ति की सूची सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही की। विवादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है एवं विवादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को नही है। प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, की धारा 98 के अन्तर्गत कोई नोटिस नही दिया है। भूमि सरकारी हो वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर में निहित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा 37, राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अनुसार वर्जित होकर निरस्तनीय है। अतः प्रार्थीगण द्वारा

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23(1), राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 सव्यय खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र की ताईद मे श्री परशराम पिता शंकरलाल मेनारिया, भंवरलाल पिता सोहनलाल मेनारिया के बयान कलमबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी सबूत मे पट्टे की छायाप्रति, खसरा मिलान, चालू जमाबंदी की नकल एवं जिन्स गिरदावरी की नकले एवं दस्तावेज पेश किये, जो शामिल पत्रावली किये गये। मामले में विपक्षीगण नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर एवं तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर की ओर से कोई दस्तावेज या मौखिक शहादत पेश नही की गई। मामले में प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुये। बहस प्रारम्भ करते हुये प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये मामले में लिखित बहस प्रस्तुत कर मौजा पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा माफी का गांव होना, प्रार्थीगण के पास विवादग्रस्त भूमि का पट्टा उपलब्ध होना, विवादग्रस्त आराजी पर जागीर पुनर्ग्रहण से पूर्व प्रार्थीगण का आधिपत्य होना अवगत कराया एवं अनुरोध किया कि धारा 23 (1), राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत यह सम्पत्ति प्रार्थीगण की निजी सम्पत्ति है। प्रार्थीगण द्वारा समय पर सूची प्रस्तुत न करने से उक्त सम्पत्ति प्रार्थीगण की निजी सम्पत्ति घोषित नही की गयी। सूची प्रस्तुत करने की कोई मयाद मुकरर नही है। प्रार्थीगण का मौके पर विपक्षीगण द्वारा जबरन कब्जा हटाने का प्रयास करने पर प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले में बयानकर्ताओं के बयान से भी उक्त सम्पत्ति प्रार्थीगण की व्यक्तिगत सम्पत्ति हेाना स्पष्ट जारी है। मामले में सरकार द्वारा कोई शहादत प्रस्तुत नही की गयी है, जिससे यह साबित हो कि यह गांव माफी का न हो। निजी सम्पत्ति तय करने का अधिकार इस न्यायालय को है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई मयाद मुकरर नही है, जैसा कि ए.आई.आर 1972 राजस्थान पृष्ठ 32 पर तय किया गया है, धारा 23 के तहत निजी सम्पत्ति की सूची प्रस्तुत करना कही आवश्यक नही है, जैसा कि ए.आई. आर. 1968 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ संख्या 858 व आर.आर.डी 1978 पृष्ठ 442 एवं आर.आर.डी. 1974 पृष्ठ 226 पर तय किया गया है। जमाबन्दी में जागीर अधिग्रहण के बाद गलत इन्द्राज हो जाने से सरकार या नगर विकास प्रन्यास को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। मात्र म्यूटेशन या जमाबन्दी के इन्द्राज से किसी भी व्यक्ति को राईट टाईटल नही मिलता है, जैसा कि ए.आई.आर. 1994 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 227 व पृष्ठ 1496 पर तय किया गया है, इसी बिन्दु को ए.आई.आर. इलाहबाद पृष्ठ 127 पर तय किया गया है। यहां तक की राजस्थान उच्च न्यायालय ने तय किया है कि जागीदार की व्यक्तिगत सम्पत्ति डिप्टी कलक्टर जागीर द्वारा तय की जाती है एवं वह उस सम्पत्ति का मालिक होता है, जैसा कि आर.आर.डी 1972 पृष्ठ 98 पर तय किया गया है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र को जबानी एवं दस्तावेजी शहादत से सिद्ध कर दिया है। इस प्रकार आर.आर.डी 1978 पृष्ठ 442 रामसिंह बनाम राजस्थान राज्य में इस बिन्दु को तय किया गया है। राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 46 के अनुसार जो प्रकरण जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत तय किया जाता है, उस सम्बन्ध में दीवानी या राजस्व न्यायालय का

क्षेत्राधिकार नही है। धारा 23 के तहत निजी सम्पत्ति की घोषणा की जाती है एवं सम्पत्ति के सम्बन्ध में घोषणा का वाद, राजस्व या दीवानी न्यायालय में नही जा सकता है, जैसा कि आर.एल. डब्ल्यू 1969 पृष्ठ 92 एवं आर.आर.डी 1978 पृष्ठ 520 पर तय किया गया है। पूर्व में भी इस न्यायालय द्वारा कन्नीराम बनाम सरकार के मामले में माफीदार की निजी सम्पत्ति घोषित की गयी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण की निजी सम्पत्ति घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम खातेदारी हक से दर्ज कराया जावे। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत की प्रति प्रस्तुत कीः—

- कन्नीराम बनाम सरकार में न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश (जागीर), उदयपुर द्वारा प्र.स. 01/1984 में पारित निर्णय
- ए.आई.आर. 1972 (राजस्थान) पृष्ठ 33
- आर.आर.डी. 1978 पृष्ठ 442
- ए.आई.आर. 1994 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 227
- आर.आर.डी. 1972 पृष्ठ 98
- आर.एल.डब्ल्यू. 1969 पृष्ठ 92
- आर.आर.डी. 1978 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 520
- आर.आर.डी. 1988 पृष्ठ 148

राजकीय अधिवक्ता द्वारा मामले में बहस में भाग लेते हुये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना बताया तथा प्रार्थीगण को मात्र अतिक्रमी होना अवगत कराया। राजकीय अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थीगण न तो माफीदार है न ही उनके पास मे इसकी पुष्टि स्वरूप कोई वैध दस्तावेज मौजूद है। वादग्रस्त आराजी बिलानाम सरकार दर्ज हो राजकीय भूमि है एवं वर्ष 1989 में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को हस्तान्तरित हो चुकी है। विवादित आराजीयात प्रारम्भ से ही राजस्व रेकर्ड में बिलानाम सरकार दर्ज रही है एवं राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 लागू होने के बाद धारा 22 के अनुसार जागीर की समस्त भूमियो के अधिकार राज्य सरकार में निहित हो गये। उक्त भूमि बाबत् तत्कालीन जागीर कमिश्नर के न्यायालय में प्रार्थीगण के द्वारा न तो धारा 23(1) के अनुसार कोई सूची निजी सम्पत्ति बाबत् पेश की एवं न ही कोई उजर पेश किया एवं न ही जागीर कमिश्नर के यहां से कोई पट्टा प्रमाणित कराया है। धारा 2 (1) जागीर एक्ट एवं जागीर रूल्स 1954 के नियम 22 (3) अनुसार खुदकाश्त शब्द का अर्थ है कि भूमि जागीर (माफीदार) के नाम राजस्व रेकर्ड की प्रविष्ठिया, जमाबन्दी, बन्दोबस्त आदि मे हो। खातेदार के कॉलम मे राजस्व रेकर्ड में माफीदार जागीर (खुदकाश्त) का कही भी अंकन नही है एवं न ही उक्त भूमि माफी ही होने व प्रार्थीगण के आधिपत्य की होने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थीगण द्वारा पेश की गयी है। मात्र मौखिक साक्ष्य पेश कर देने से भूमि खुदकाश्त की नही मानी जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5 की उपधारा 23 में भी खुदकाश्तकार दिया हुआ है। अतः प्रार्थीगण

को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत सक्षम न्यायालय में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु चाराजोही की जानी चाहिये थी। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पट्टे पर किसी प्रकार का पृष्ठांकन न होने से पट्टा विश्वसनीय नही माना जा सकता है। राजस्व रेकर्ड में भूमि बिलानाम सरकार दर्ज होने से जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेशानुसार नियमानुसार भूमि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को हस्तान्तरित की गयी हे। प्रार्थीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15, 19 के तहत राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 के अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद पेश करना चाहिये था, जो उसके द्वारा न करने से प्रार्थीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वर्ष 1959 के बाद उदयपुर जिले में 03 बार पेमाईश (सेटलमेन्ट) हो चुका है, किन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई चाराजोही अपने हक एवं अधिकार को प्राप्त करने के लिये सक्षम न्यायालय में नही की गयी है। विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद सुनने का अधिकार इस न्यायालय को नही है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को खुदकाश्त भूमि होना अंकित किया है, जो मनगढंत एवं मिथ्या है। अतः उक्त भूमि राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 लागू होने एवं जागीर समाप्त होने के पश्चात् भूमि राज्य सरकार में निहित होने एवं नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज हो जाने के बाद प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 23 (1) के अनुसार संधारण योग्य न होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 (1) राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, नगर विकास प्रन्यास के जवाब, लिखित बहस, बयान, न्यायिक दृष्टांत एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवाद मौजा पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा की साबिक आराजी संख्या 311 रकबा 14 बीघा, आराजी संख्या 867 मी. रकबा सवा 26 बीघा एवं आराजी संख्या 152 रकबा पोने 3 बीघा भूमि है, जिसके आराजी संख्या 405 रकबा 1.2200 हेक्टेयर, 409 रकबा 1.8700 हेक्टेयर, 410 रकबा 1.8000 हेक्टेयर, 413 रकबा 4.2600 हेक्टेयर, 175 रकबा 0.1450 हेक्टेयर व 1102 रकबा 0.2750 हेक्टेयर एवं इसी प्रकार साबिक आराजी संख्या 325 व 326 के हाल आराजी संख्या 427 रकबा 0.0500 हेक्टेयर व साबिक आराजी संख्या 1311 के हाल आराजी संख्या 407 रकबा 0.1150 हेक्टेयर से संबंधित है, जिसमें प्रार्थीगण द्वारा स्वयं को माफीदार होना, प्रार्थना पत्र विधिनुसार प्रस्तुत करना एवं उक्त आराजीयात को प्रार्थीगण की निजी सम्पत्ति घोषित करने हेतु अनुरोध किया है। उक्त भूमि प्रारम्भ से ही बिलानाम सरकार राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है एवं राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 प्रभाव में आने के उपरान्त जागीर की समस्त भूमियों के अधिकार एवं हक राज्य सरकार में निहित हुये है एवं तत्समय प्रार्थीगण द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई उजर–आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि माफीदार की होना एवं स्वयं की आधिपत्य की होना मौखिक साक्ष्य से अवगत कराया है, किन्तु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति भूमि को प्रार्थीगण के खुदकाश्त की नही मानी जा सकती है एवं न

ही राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 23(1) के तहत निजी सम्पत्ति के रूप मे माना जा सकता हैं। राजस्व अभिलेख मे संवत् 2010–2013 मे भी उक्त भूमि बिलानाम सरकार ही दर्ज हैं। राजस्व अभिलेख मे उक्त भूमि माफीदार खुदकाश्त खातेदार दर्ज रही हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण के अधिवक्ता प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिसे प्रार्थीगण द्वारा पट्टा बताया जा रहा है, वह भी स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं। माफी से पूर्व के कब्जे अथवा स्वामित्व का कोई दस्तावेज प्रार्थीगण के अधिवक्ता प्रस्तुत नहीं कर सके है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे बिलानाम सरकार होने से नियमानुसार जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा आबादी विस्तार हेतु नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को हस्तान्तरित की गई है। भूमि कब्जे मे होने एवं जागीर (माफी) की खुदकाश्त की होने मे काफी अन्तर हैं। प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5 की उपधारा 23 मे खुदकाश्त दिया हुआ है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू हो जाने के बावजूद प्रार्थीगण द्वारा धारा 15, 19 के तहत खातेदारी प्राप्त करने हेतु चाराजोही की हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजुद नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि बाबत् एक वाद सिविल न्यायालय मे भी प्रस्तुत किया जाना, जो खारिज होना स्वीकार किया है। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने मे असफल रहे है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में चस्पा नही होते है। इस प्रकार समग्र तथ्यों पर विवेचन उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23(1), राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य पाया जाता हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23(1), राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर एवं तहसीलदार गिर्वा को प्रेषित की जाकर निर्देशित किया जाता है कि सरकारी भूमि पर यदि प्रार्थीगण का कब्जा हो तो मामले में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.03.05 17:57:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: